

आदेश न इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर
प्रकरण संख्या 319/2020 (धारा 14 सिक्योरिटाइजेशन)

पंजाब नेशनल बैंक प्रधान कार्यालय प्लॉट नं. 4 सेक्टर-10 द्वारका, नई दिल्ली. एवं शाखा मानसरोवर
जयपुर (राज.)

प्रार्थी बैंक

बनाम

(1) अनिल कुमार खत्री

(2) शंशांक खत्री

(3) संगीता खत्री

पता 5/356, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर ।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं मारुटर

The application under section 14 of the securitisation
and reconstruction of financial assets and
enforcement of security interest Act. 2002

उपस्थित :-

1. श्री भवानी सिंह अधिवक्ता प्रार्थी बैंक की ओर से।

आदेश

दिनांक: 10.12.2020

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 02.08.2014 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी अनिल कुमार खत्री के स्वामित्व की प्रांतीय सम्पत्ति 5/356 एस एफ एस अग्रवाल फार्म मानसरोवर जयपुर क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर का बंधक कर कुल राशि 35,00,000/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 16.08.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय व्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक उक्त सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्ट्रार किया गया। न्याय हित में अप्राथीकरणों को सुयोग्य पत्र जारी किये गये। अप्राथीकरण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।
3. प्रार्थी बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता को मौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्राथीकरणों को कुल 35,00,000/- रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्राथीकरण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी बैंक के पास गिरवी रखी है। अप्राथीकरण का ऋण स्वता एन पी ए धारित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि ग्याज कुल 47,03,687/- रुपये जमा कराने हेतु अप्राथीकरण को दिनांक 16.08.2019 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत जामिनी जारी किया गया। अप्राथीकरण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्राथीकरण द्वारा बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंक बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत बैंक के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।
5. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र रवीकर कर प्रार्थी बैंक के पक्ष में अप्राथी अनिल कुमार खत्री के स्वामित्व की आवासीय सम्पत्ति 5/356 एस एफ एस अग्रवाल फार्म मानसरोवर जयपुर क्षेत्रफल 200 वर्गमीटर का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जयपुर सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
6. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त को भेज कर लिखा जाने की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को प्राप्त करने में सहयोग कर बैंक को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।
7. आदेश आज दिनांक 10.12.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।



(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर